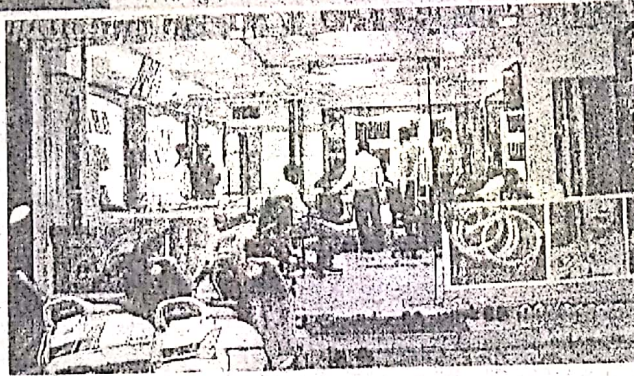


नागपुर नवभारत प्लस

नागपुर, मंगलवार 4 दिसंबर, 2011 तापमान : 28.9 / 12.8 डि.से.



नकली हालमार्क ज्वेलरी जब्त

BIS की कार्रवाई

व्यापार प्रतिनिधि नागपुर. भारतीय मानक ब्यूरो ने सूचना के आधार पर छापामारी कर नकली हालमार्क ज्वेलरी जब्त की है. शोरूम से ज्वेलरी को सीज कर लिया गया है और मालक को नोटिस जारी कर हिदायत दी गई है. बीआईएस के नागपुर हेड आर.पी. मिश्रा ने बताया कि ग्राहकों को झांसा देकर हालमार्क से जेवर की बिक्री की जा रही थी, जो गलत है.

उन्होंने बताया कि गोंदिया के दुर्गा ज्वेलर्स में यह छापामारी की गई. छापे के दौरान पाया गया कि संचालक के पास लाइसेंस नहीं है, बावजूद हालमार्क के नाम पर ज्वेलरी की बिक्री कर रहा है. सारे गहनों को जब्त कर लिया गया है. हालमार्क के नाम पर संचालक ग्राहकों से अच्छी आय कमा रहा था, वहीं ग्राहकों को शुद्ध गहने नहीं मिल

रहे थे. इसके पूर्व बीआईएस की ओर से नागपुर में भी कुछ ज्वेलर्स पर छापामारी की गई थी और इसी प्रकार से गहनों को जब्त किया गया था. नागपुर में एक अनुमान के अनुसार 3000 से 3500 ज्वेलरी के दुकानें हैं, जबकि बीआईएस लाइसेंस लेने वाले महज 125-150 ही हैं. बीआईएस के अधिकारियों ने जल्द से जल्द लाइसेंस लेने की अपील भी की थी, विदर्भ के अन्य जिलों में जाकर जागरूकता कार्यक्रम लिया था, परंतु ज्वेलर्स आगे नहीं आ रहे थे. इसके बाद बीआईएस ने छापामारी अभियान शुरू किया. इसका नतीजा यह हुआ कि 90-100 लोगों ने महज कुछ माह में ही लाइसेंस ले लिए. मिश्रा ने कहा कि ज्वेलर्स को लाइसेंस लेना चाहिए, क्योंकि लाइसेंस शुल्क काफी कम है. इससे वे दंड से भी बच सकते हैं और सही मायने में कारोबार भी कर सकते हैं.

अपना नागपुर

अतिरंजन

2

महाराजबाग प्रबंधन करेगा मान्यता के लिए अपील

3

नहीं खुली नींद, सुर

नागपुर, बुधवार, 5 दिसंबर 2018

गोंदिया में जब्त किए गए नकली हॉलमार्क गहने

नागपुर। 4 दिसंबर। लोस सेवा

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), नागपुर विभाग ने गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई कर नकली हॉलमार्क गहने जब्त किए हैं। साथ ही ज्वेलरी शोरूम के संचालक को नोटिस भी जारी किया है। बीआईएस, नागपुर विभाग ने विशेष अभियान के तहत गोंदिया के विविध ज्वेलरी शोरूम में जांच-पड़ताल की। इस दौरान दुर्गा ज्वेलरी शोरूम में नकली हॉलमार्क गहने मिले।

बीआईएस नागपुर विभाग के विभागीय प्रमुख आर.पी. मिश्रा ने बताया कि ग्राहकों से धोखाधड़ी कर नकली हॉलमार्क गहने बेचना गलत है। ऐसे मामलों का पता लगाने के लिए गहनों के शोरूमों में जांच की जाती है। इसी कड़ी में गोंदिया में की गई कार्रवाई में संचालक के पास हॉलमार्क गहने बेचने का लाइसेंस नहीं था। ऐसे में शोरूम में मिले सभी गहने जब्त कर लिए गए। यहां ग्राहकों को शुद्ध सोने और हॉलमार्क गहने बताकर संचालक ग्राहकों से अधिक पैसे ले रहा था।

116 उत्पादों के लिए लाइसेंस जरूरी

भारतीय मानक ब्यूरो अंतर्गत एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी बॉल्व, रेग्युलेटर, विविध दुग्ध उत्पाद, इलेक्ट्रिक केबल, पैकेज्ड ड्रिंक, बॉटल, स्टील, सीमेंट आदि सहित 116 उत्पादों के लिए बीआईएस का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यह लाइसेंस न लेने पर बीआईएस एक्ट 2016 के तहत एक से पांच लाख रुपये तक जुर्माना या एक साल की जेल की सजा हो सकती है।

150 के पास ही लाइसेंस

मिश्रा ने बताया कि इसके पूर्व बीआईएस द्वारा नागपुर में भी ऐसे ही कुछ ज्वेलर्स पर कार्रवाई कर नकली हॉलमार्क ज्वेलरी जब्त की थी। नागपुर में लगभग 4 हजार सराफा दुकानें हैं। लेकिन बीआईएस का लाइसेंस लेने वालों की संख्या 150 के आसपास ही है। सराफा कारोबारियों से बीआईएस का लाइसेंस लेने की अपील की गई है।

हॅलो नागपूर

नागपूर, बुधवार, दि. ५ डिसेंबर २०१८

बनावट हॉलमार्कचे दागिने जप्त बीएसआयची कारवाई : पाच लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : भारतीय मानक ब्युरोच्या (बीआयएस) नागपूर विभागाने सूचनेच्या आधारावर कारवाई करून बनावट हॉलमार्क दागिने जप्त केले आणि संचालकाला नोटीस जारी करण्यात आला. विभागाने विशेष मोहिमेंतर्गत गोंदिया येथील विविध ज्वेलरी शोरूमची तपासणी केली. त्यात दुर्गा ज्वेलरी शोरूममध्ये बनावट हॉलमार्कचे दागिने आढळून आले.

बीएसआयचे नागपूर विभागीय प्रमुख आर.पी. मिश्रा यांनी सांगितले की, ग्राहकांची फसवणूक करून बनावट हॉलमार्क दागिन्यांची विक्री करणे चुकीचे आहे. या अंतर्गत दागिन्यांच्या शोरूमची तपासणी करण्यात येते. बनावट हॉलमार्क दागिन्यांसह संचालकाकडे विक्रीचा परवाना नव्हता. कारवाईदरम्यान सर्व दागिने जप्त करण्यात आले. ग्राहकांना



आकारित होता.

मिश्रा म्हणाले, यापूर्वी बीआयएसच्यावतीने नागपुरातही काही ज्वेलर्सवर अशीच कारवाई करून बनावट हॉलमार्कचे दागिने जप्त केले होते. नागपुरात जवळपास चार हजार सराफांची दुकाने आहेत. पण बीएसआयचा परवाना घेणाऱ्यांची संख्या केवळ १५० च्या आसपास आहे. विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सराफांना बीएसआयच्या परवाना घेण्याची विनंती केली आहे. शिवाय विभागाने या संदर्भात जागरूकता कार्यक्रम घेतले आहेत. त्यानंतरही केवळ १०० जणांनी

शुद्ध सोन्याचे आणि हॉलमार्कचे दागिने असल्याचे सांगून तो ग्राहकांकडून जास्त पैसे

परवाना घेतला. पण सराफा व्यापाऱ्यांच्या संख्येच्या तुलनेत ही संख्या फारच अल्प आहे. परवाना शुल्कही कमी आहे. त्यानंतरही भीतीपोटी व्यापारी पुढे येत नाही. सराफांनी पुढे येऊन परवाना घ्यावा, असे आवाहन मिश्रा यांनी केले. हॉलमार्कचा परवाना घेतल्यास व्यवसायात पारदर्शकता येईल आणि ग्राहकांनाही शुद्ध सोन्याचे दागिने मिळतील, असे ते म्हणाले.

भारतीय मानक ब्युरोअंतर्गत एलपीजी सिलिंडर, एलपीजी वॉल्व, रेग्युलेअर, विविध दुग्धजन्स पदार्थ, इलेक्ट्रिक केबल, पॅकेजिंग ड्रिफिंग वॉटर, स्टील, सिमेंट आदींसह ११६ उत्पादनांसाठी बीएसआयचा परवाना घेणे बंधनकारक आहे. अशा प्रकरणांमध्ये बीआयएस कायदा-२०१६ मधील तरतूदीनुसार एक ते पाच लाखांपर्यंत दंड अथवा एक वर्ष कारावास होऊ शकतो.